

24-54/4

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

₹. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES-

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 823523



दिनांक : 07.11.2014

न्यास गिलेख (Instrument of Trust)

"गृह दुर्गा पाय जनसेवा संस्थान"
ग्राम व पोस्ट-बैलडे, तहसील-लालगंज, जिला-आजमगढ़

हम कि साकेत राय नुत्र नी रख० दुर्गा प्रसाद राय, घाम व पोस्ट-बैलडे, तह०-लालगंज, जिला - आजमगढ़ का है। हम नुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरापत्त कार्य करता रहता है तथा हम मुकिर के मन मरिताम में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का विकास बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख शान्ति, आपसी सद्व्याव व विकास साधाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्द्ध नागरिक गुणों की स्वास्थ्य एवं आदर्श गुणों की प्रशापना हो। समाज को साधनहीन व्यक्तियों की जीवन की भूलभूत आवश्यकताएं भोजन, शिक्षा व आठास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुसार लकड़ी की व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें बोजगारों का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में उत्तरपर भाई-चारा, साम्प्रदायिकता ताल-मेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने में हिंग-मेद-जाति-पाति, चुआ-छुत, ऊँच-नीच की भावना कहीं से भी बाष्पक न हो। जनहित के लकड़ कार्यों को संबोधित करने तथा उससे लोगों के अधिकाधिक साम प्रदान करने के लिए विभिन्न विधियों में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुम... 2

आजमगढ़

नामांकन/प्रबन्धकार्यालय ५८८

गृह दुर्गा पाय जनसेवा संस्थान
तहसील-लालगंज

नामांकन दाता



लोकेश दाता

बैलडे, ज.



Scanned with OKEN Scanner

भारतीय नौर न्यांसिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE

रु. 100



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

BU 395269

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (2)

1

इन निमिन संस्थाओं द्वाय निमितो का धारण किया जाना आवश्यक पालन इसकी रूपाने व्यापक
के लिए हम गुरुकर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/टट की सामग्री की रखी है। हम गुरुकर अपने
उत्तर प्रदेश इसका को पूरी के लिए उत्तर न्यास इस हेतु आवश्यक संस्थानों की सामग्री की न्यास
2000/- (दो हजार रुपया) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास
कोष में निमिन उपयोग के बाहर या चाल-प्राप्ति संस्थानों की सामग्री करते रहें। हम गुरुकर ने अपने
हात स्थापित उत्तर न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रसारण के बाबत एक न्यास पत्र को भी निमितो
किया है। निमितो स्थाना निम्न लिखे की जाएगी।

1. यह तिन गुरुकर द्वारा स्थापित न्यास का नाम "बाबू दुर्गा राय नौर न्यास संस्थान" पत्र में
आगे "न्यास अध्ययन ट्रस्ट" एवं भी सम्बोधित किया जा सकता है।
2. यह तिन गुरुकर द्वारा स्थापित उत्तर न्यास के कार्यालय नियासी- धार्म या पौर्ण- वेतन,
तथा - लालनग, लिता- आज-नान द्विषा। उक्त न्यास के कार्य को युगाल रूप से स्थापित
करने तथा इसके उद्दोगों के युगाल गतिशीलता के बावजूद इसके अव्यक्तिगतीयों की सामग्री की
जारी और उनके कार्यालयों के पास एवं न्यास अध्यक्ष द्वारा गतिशील जीवों जाने वाले संस्थानों
और समितियों का पार्टीकल्यान इसके अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकता। पूर्ण ये हम
गुरुकर द्वारा गुरुकर ने पूरीजो गुरु जी संस्थान स्थापित कर उनका प्रतीक्षण करता रहा है
और निमिन निमिन इस न्यास पत्र में नौर न्यास के उद्दोगों में दिया गया है भी हम गुरुकर
हात स्थापित किये जाने छाते इस न्यास/ट्रस्ट के अधीन जानी व समझी जाएगी।
3. यह तिन गुरुकर द्वारा न्यास पत्रकर के उत्तराधिकार युक्त द्वारा द्वारा नामित न्यासीयों को न्यास का नामी नामा
जाएगा। नियासी एवं न्यास 3 से बाल तक 12 से अधिक वर्षी होती। न्यासी ये हम गुरुकर
हात न्यास की उद्दोगों के उपयोग परिषद् हेतु अप्य दृष्टियों की भी निमितो की जा सकती।
हम गुरुकर हात नामित न्यासी एवं न्यास को न्यासी एवं न्यास पत्रकर/ट्रस्ट
में नामित न्यासीयों का विवरण निम्नलिखित है-

पृष्ठा 3

स्वामी/मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री/सचिव
कल्पना

मुख्यमन्त्री/सचिव
कल्पना




Scanned with OKEN Scanner

भारतीय ग्रन्थाचिवान

एक सौ रुपये

四
一〇〇

卷之三



卷之三

INDIAN JUDICIAL

ONE HUNDRED RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

四

B03952/0

३५४

二四

卷之三

३. नव-युद्धक, यह-युद्धों के द्वारा भागी हो रहा तथा विजय के लिए आपनी चर्चाओं पर धूम लेकर आमने-सामने बढ़ते हैं।

卷之三

47

10


भारतीय नेत्र-चालिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE

रु. 100



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

BU 395271

- सरकार के विभागों वा मुख्यमंत्री वा विधि महाविद्यालयों शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं प्राविधिक कानूनों, वा जिला के सचिवानों, विधायिकालयों की स्वाधापना एवं उनका सचालन करना।
4. नवीन समय में विज्ञान के जन वीजन का आवश्यक एवं अनिवार्य अग होने की विधियों को देखते हुए तथा जीवन के प्रयोग सैव को सूचना, विज्ञान एवं काम्यतर तजनीकी पर आधारित होने के कारण उनसे सम्बन्धित तथा की विज्ञानों व प्रशिक्षणाधिकारी को अत्याधिक एक्सीलिटी के बाब्याम से उपलब्ध ठगना।
5. समाज के समुदायिक विकास को प्रस्तुर भाँड़-धारा, सम्प्रदायिक तात्त्व-मौल, साइरमिल, राष्ट्रीय एकता, सामूहिक कानून के घटि स्कादारों तथा समाज के प्रति जिमेदारियों के लिए युद्धके एवं विहितों को उत्तराक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
6. चारों हाथा चाहिए प्राविधिकालयों एवं प्रशिक्षण तथा विधायों के लिए नियमानुसार राजा प्राविकारों से स्वीकृत या अनुमोदित करायी गयी प्रावासन योजना के अनुसार सम्बन्धित विधायिकालय के प्रबन्ध समिति के पदोन्न सदस्य होने तथा उन्हें विधायानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होना।
7. विद्या-मेंट, ज्ञानी-पात्रि, मुद्रा-मूल, इन व सम्बन्धाय ऊँच-नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण / जागरूकता / सर्व / लिदेचर आदि की व्यवस्था करना।
8. विद्या प्रधार / प्रसार / उन्नापन तथा प्रदेश व देश के किसी भीक्षेत्र में सामान्य विद्या / गैर सम्बन्धित विद्या / विद्यि विद्या / विद्या-प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।
9. व्यावसाय आवश्यकताओं के देखते हुए किंच-कोषार, नसीरी, प्राइवेटी, पार्श्वायिक खुल्लों तथा ने दुकान व आदाद वा विद्यालय करना तथा आमदनी के छोल हेतु विद्यालय काम्यात्तरण दिखी एवं दीजीयों का तथायन करना तथा आमदनी के छोल हेतु विद्यालय काम्यात्तरण दिखी एवं दीजीयों का तथायन करना।
10. विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न विभागों व कामज़ोर विधायिकों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे भौतिक इंजीनियर, वालिटिकेन, ईंज एंजीनियर, आईआईएसो ने प्रवेश की विधायिकों के लिए विद्या विद्यालयों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आप से सरका का विवाह करना एवं वालिटिकेन, ईंजीनियर, वालिटिकेन विद्यालय कामज़ोर एवं व्यवस्था करने वाली विवाह करना।

— राज्यप्रतिरक्षण

व्यावसायिक विवाह

वालिटिकेन विवाह

राज्यप्रतिरक्षण
व्यावसायिक विवाह
वालिटिकेन विवाह



Scanned with OKEN Scanner

भारतीय और न्यायिक

५४८

3.50

INDIA NON JUDICIAL

AP 646 1707



11. संसद के प्रत्येक योजनाओं में शहिलीओं को उनके योग्यता के अनुसार समृद्धि प्रतिनिधित्व प्रदान करना। उनके न निलंबने की इसी से स्थान पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।

12. अनुज्ञाति, अनुज्ञान-जाति, विषये एवं कमज़ोर वर्गों के लिए स्वीकृतार्थ योजना का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए संशोधित संघ में कमज़ोर विधायिकों के लिए अलग से कोषिंग की व्यवस्था करना।

13. पुरुषों को आज निवार रखाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक दैनिक जैसे-सिलाई कड़ाई, बग्गड़ी, लैटिंग, स्टीम, इलेक्ट्रोनिक वायर मेंडीज़िल एवं मोटर चालोनिक रेलवे एवं ट्रॉलीट ट्रैकिंग, टाईडेप, गार्ड हॉल्ड, ग्राम्प्यूटर प्रोसेसिंग आदि जैसे-केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था एवं प्रबन्धन करना। आवश्यकता-पुस्तकालय, अध्यायन सभा, अध्यायन सभा, भौजन, घरन रुपा, सामाजिक खेल या नीतान जैसी सुविधाओं को) उपलब्ध कराना।

14. चारों प्रायस्करण जैसे-जैसे, मुख्या, आधार, कन्वेय तथा अन्य घरन सरकार का प्रशिक्षण

रखना।

15. पुरुषों के लिए विभिन्न प्रकार के तिर अन्य उपयोग प्रशिक्षण जैसे-हैंडी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बुकिंग करना, निवाच व्यावस्था तथा खेल-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजेता शिलांगियों को पुरस्कृत करना भी संसद का उद्देश्य है।

16. युवाओं को अलग निवार जैसे के लिए विभिन्न प्रकार के यातारीक दैनिक उपदेश्य है।

17. सभी कल्याण हेतु लिविंग सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को विधायित करना जैसे-पुरा, घरों, आदि, आग एवं नियन्त्रित स्वप से कमज़ोर वर्गों पुरुषों एवं अनुसृष्टित अवसरों / विद्युत राशि / गृहीय वस्तु जिलों अन्य वस्तु एवं पुरुषों के लिए विद्यालय चालाना एवं घोरन वस्तु की विरोध करना एवं उन्हें अलग निवार बनाना। इन सभी लागूने के अन्य भागोंनाले का विभिन्न अवलोकन समिति व्यवस्था करना।

18. युवा के लिए विभिन्न कृषि औषध पुनर्वास कृषि की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन, पञ्च-विषयों व उच्च विद्यालयों के विद्युतीय व रसोंत्रिता हो।

19. नीतिंय सरकार एवं विधाया मुनिवाल कृषि की स्थापना करना एवं उनके सरकारी सहायता देना।

卷之三

માનુષ

卷之三

卷之三

भारतीय नौर न्यायिक

पचास
रुपये

₹.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

AP 649484

20. समुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केंद्र, वरात घर, पर्यावाता, तुलना, शैघंशालय, निकातसाधर, पुस्तकालय, छेत्र मैदान, योग प्रशिक्षण केंद्र, औगनबाड़ी, बालबाड़ी, अमा स्टड़, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
21. सरकारी / अद्वैतसरकारी / पाइटर व जाली पट्ठी जमीन पर आधिक महत्व वाले पौरों को बड़े विमाने पर उगाणा, वृक्षारोपण, वीफिल्मो एवं जड़ी बूटियों वाले पौरों का उत्पादन (मेक्सिनत फ्लाट) (सोन्दर्य उपयोगी विभ.) (जर्नरी कल्पन) मुग्धा हेतु अन्य पौरों पर आधिक महत्व वाले पौरों का राज करना। युद्धस्थ एवं सरकार की दृष्टि से निवृत्प वौरों की खेती करना।
22. जाली पानीदोग बोर्ड के विधानों के बालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनाहित योजनाओं को लागू करना तथा स्थानीय रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक राहगत प्रयोग अनुदान को लागू करना। रोजगार हेतु जन-जन तक पहुँचाना।
23. राष्ट्रीय एकता निपिर के द्वारा विवेदनकर संघटनरीति तथा आति संघेदनरीति राज्यों के लोगों वे राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
24. संस्था की उदादाया की पूर्ति के लिए गुप्ति, मकान तथा गाहनों को खरीदना बेचना उन्हें किराये या लीज पर लेन-देन करना यार्गेत करना या मकान बनवाना बेचना आदि।
25. निवेश इकार के कार्यक्रमों के लिए अद्वैतिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण साल की स्थापना करना, जिसमें निवेश इकार के सरकारी एवं नैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे - पूर्विसेषण, आर्ट्सिस्टिडीएस, बैडस युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं साक्ष्य निभाग इत्या आयोजित निवेश इकार के प्रशिक्षणों का आधारन करना।
26. चर्चन यानीदोग जो बढ़ावा देने तथा युवाओं को आवश्यकर बनाने के लिए अद्यती उद्योग, रेतन उद्योग, न्यूमोटोरी पालन, युरी पलन, बाल बालन, तथा इनसे सम्बन्धित वीनारियों की जानकारी रोकथाम, टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित / जागरूक / प्रशिक्षित एवं साइन सम्बन्ध बनाना।
27. बोकी निगरान, तम्बूनुपार, फ्लाना गोजा, भाग, रोटी एवं सूखी या किसी अन्य प्रकार के नसा का सोनन करने वाले के उनसे होने वाले वीनारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे एकत्रणा प्रयोग के लिए नसा शुक्रेत ने युल्क निकितसालय की व्यवस्था करना। जनसंघ

स्वास्थ्य प्रबन्धना

रुपये ५०

प्राप्ति वर्तमान

प्राप्ति वर्तमान

२०१८-२०१९



Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर-न्यायिक

पचास
रुपये

FIFTY
RUPEES

₹.50

INDIA NON JUDICIAL

INDIA

INDIA

AP 649485

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (7)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45.
- 46.
- 47.
- 48.
- 49.
- 50.
- 51.
- 52.
- 53.
- 54.
- 55.
- 56.
- 57.
- 58.
- 59.
- 60.
- 61.
- 62.
- 63.
- 64.
- 65.
- 66.
- 67.
- 68.
- 69.
- 70.
- 71.
- 72.
- 73.
- 74.
- 75.
- 76.
- 77.
- 78.
- 79.
- 80.
- 81.
- 82.
- 83.
- 84.
- 85.
- 86.
- 87.
- 88.
- 89.
- 90.
- 91.
- 92.
- 93.
- 94.
- 95.
- 96.
- 97.
- 98.
- 99.
- 100.
- 101.
- 102.
- 103.
- 104.
- 105.
- 106.
- 107.
- 108.
- 109.
- 110.
- 111.
- 112.
- 113.
- 114.
- 115.
- 116.
- 117.
- 118.
- 119.
- 120.
- 121.
- 122.
- 123.
- 124.
- 125.
- 126.
- 127.
- 128.
- 129.
- 130.
- 131.
- 132.
- 133.
- 134.
- 135.
- 136.
- 137.
- 138.
- 139.
- 140.
- 141.
- 142.
- 143.
- 144.
- 145.
- 146.
- 147.
- 148.
- 149.
- 150.
- 151.
- 152.
- 153.
- 154.
- 155.
- 156.
- 157.
- 158.
- 159.
- 160.
- 161.
- 162.
- 163.
- 164.
- 165.
- 166.
- 167.
- 168.
- 169.
- 170.
- 171.
- 172.
- 173.
- 174.
- 175.
- 176.
- 177.
- 178.
- 179.
- 180.
- 181.
- 182.
- 183.
- 184.
- 185.
- 186.
- 187.
- 188.
- 189.
- 190.
- 191.
- 192.
- 193.
- 194.
- 195.
- 196.
- 197.
- 198.
- 199.
- 200.
- 201.
- 202.
- 203.
- 204.
- 205.
- 206.
- 207.
- 208.
- 209.
- 210.
- 211.
- 212.
- 213.
- 214.
- 215.
- 216.
- 217.
- 218.
- 219.
- 220.
- 221.
- 222.
- 223.
- 224.
- 225.
- 226.
- 227.
- 228.
- 229.
- 230.
- 231.
- 232.
- 233.
- 234.
- 235.
- 236.
- 237.
- 238.
- 239.
- 240.
- 241.
- 242.
- 243.
- 244.
- 245.
- 246.
- 247.
- 248.
- 249.
- 250.
- 251.
- 252.
- 253.
- 254.
- 255.
- 256.
- 257.
- 258.
- 259.
- 260.
- 261.
- 262.
- 263.
- 264.
- 265.
- 266.
- 267.
- 268.
- 269.
- 270.
- 271.
- 272.
- 273.
- 274.
- 275.
- 276.
- 277.
- 278.
- 279.
- 280.
- 281.
- 282.
- 283.
- 284.
- 285.
- 286.
- 287.
- 288.
- 289.
- 290.
- 291.
- 292.
- 293.
- 294.
- 295.
- 296.
- 297.
- 298.
- 299.
- 300.
- 301.
- 302.
- 303.
- 304.
- 305.
- 306.
- 307.
- 308.
- 309.
- 310.
- 311.
- 312.
- 313.
- 314.
- 315.
- 316.
- 317.
- 318.
- 319.
- 320.
- 321.
- 322.
- 323.
- 324.
- 325.
- 326.
- 327.
- 328.
- 329.
- 330.
- 331.
- 332.
- 333.
- 334.
- 335.
- 336.
- 337.
- 338.
- 339.
- 340.
- 341.
- 342.
- 343.
- 344.
- 345.
- 346.
- 347.
- 348.
- 349.
- 350.
- 351.
- 352.
- 353.
- 354.
- 355.
- 356.
- 357.
- 358.
- 359.
- 360.
- 361.
- 362.
- 363.
- 364.
- 365.
- 366.
- 367.
- 368.
- 369.
- 370.
- 371.
- 372.
- 373.
- 374.
- 375.
- 376.
- 377.
- 378.
- 379.
- 380.
- 381.
- 382.
- 383.
- 384.
- 385.
- 386.
- 387.
- 388.
- 389.
- 390.
- 391.
- 392.
- 393.
- 394.
- 395.
- 396.
- 397.
- 398.
- 399.
- 400.
- 401.
- 402.
- 403.
- 404.
- 405.
- 406.
- 407.
- 408.
- 409.
- 410.
- 411.
- 412.
- 413.
- 414.
- 415.
- 416.
- 417.
- 418.
- 419.
- 420.
- 421.
- 422.
- 423.
- 424.
- 425.
- 426.
- 427.
- 428.
- 429.
- 430.
- 431.
- 432.
- 433.
- 434.
- 435.
- 436.
- 437.
- 438.
- 439.
- 440.
- 441.
- 442.
- 443.
- 444.
- 445.
- 446.
- 447.
- 448.
- 449.
- 450.
- 451.
- 452.
- 453.
- 454.
- 455.
- 456.
- 457.
- 458.
- 459.
- 460.
- 461.
- 462.
- 463.
- 464.
- 465.
- 466.
- 467.
- 468.
- 469.
- 470.
- 471.
- 472.
- 473.
- 474.
- 475.
- 476.
- 477.
- 478.
- 479.
- 480.
- 481.
- 482.
- 483.
- 484.
- 485.
- 486.
- 487.
- 488.
- 489.
- 490.
- 491.
- 492.
- 493.
- 494.
- 495.
- 496.
- 497.
- 498.
- 499.
- 500.
- 501.
- 502.
- 503.
- 504.
- 505.
- 506.
- 507.
- 508.
- 509.
- 510.
- 511.
- 512.
- 513.
- 514.
- 515.
- 516.
- 517.
- 518.
- 519.
- 520.
- 521.
- 522.
- 523.
- 524.
- 525.
- 526.
- 527.
- 528.
- 529.
- 530.
- 531.
- 532.
- 533.
- 534.
- 535.
- 536.
- 537.
- 538.
- 539.
- 540.
- 541.
- 542.
- 543.
- 544.
- 545.
- 546.
- 547.
- 548.
- 549.
- 550.
- 551.
- 552.
- 553.
- 554.
- 555.
- 556.
- 557.
- 558.
- 559.
- 560.
- 561.
- 562.
- 563.
- 564.
- 565.
- 566.
- 567.
- 568.
- 569.
- 570.
- 571.
- 572.
- 573.
- 574.
- 575.
- 576.
- 577.
- 578.
- 579.
- 580.
- 581.
- 582.
- 583.
- 584.
- 585.
- 586.
- 587.
- 588.
- 589.
- 590.
- 591.
- 592.
- 593.
- 594.
- 595.
- 596.
- 597.
- 598.
- 599.
- 600.
- 601.
- 602.
- 603.
- 604.
- 605.
- 606.
- 607.
- 608.
- 609.
- 610.
- 611.
- 612.
- 613.
- 614.
- 615.
- 616.
- 617.
- 618.
- 619.
- 620.
- 621.
- 622.
- 623.
- 624.
- 625.
- 626.
- 627.
- 628.
- 629.
- 630.
- 631.
- 632.
- 633.
- 634.
- 635.
- 636.
- 637.
- 638.
- 639.
- 640.
- 641.
- 642.
- 643.
- 644.
- 645.
- 646.
- 647.
- 648.
- 649.
- 650.
- 651.
- 652.
- 653.
- 654.
- 655.
- 656.
- 657.
- 658.
- 659.
- 660.
- 661.
- 662.
- 663.
- 664.
- 665.
- 666.
- 667.
- 668.
- 669.
- 670.
- 671.
- 672.
- 673.
- 674.
- 675.
- 676.
- 677.
- 678.
- 679.
- 680.
- 681.
- 682.
- 683.
- 684.
- 685.
- 686.
- 687.
- 688.
- 689.
- 690.
- 691.
- 692.
- 693.
- 694.
- 695.
- 696.
- 697.
- 698.
- 699.
- 700.
- 701.
- 702.
- 703.
- 704.
- 705.
- 706.
- 707.
- 708.
- 709.
- 710.
- 711.
- 712.
- 713.
- 714.
- 715.
- 716.
- 717.
- 718.
- 719.
- 720.
- 721.
- 722.
- 723.
- 724.
- 725.
- 726.
- 727.
- 728.
- 729.
- 730.
- 731.
- 732.
- 733.
- 734.
- 735.
- 736.
- 737.
- 738.
- 739.
- 740.
- 741.
- 742.
- 743.
- 744.
- 745.
- 746.
- 747.
- 748.
- 749.
- 750.
- 751.
- 752.
- 753.
- 754.
- 755.
- 756.
- 757.
- 758.
- 759.
- 760.
- 761.
- 762.
- 763.
- 764.
- 765.
- 766.
- 767.
- 768.
- 769.
- 770.
- 771.
- 772.
- 773.
- 774.
- 775.
- 776.
- 777.
- 778.
- 779.
- 780.
- 781.
- 782.
- 783.
- 784.
- 785.
- 786.
- 787.
- 788.
- 789.
- 790.
- 791.
- 792.
- 793.
- 794.
- 795.
- 796.
- 797.
- 798.
- 799.
- 800.
- 801.
- 802.
- 803.
- 804.
- 805.
- 806.
- 807.
- 808.
- 809.
- 810.
- 811.
- 812.
- 813.
- 814.
- 815.
- 816.
- 817.
- 818.
- 819.
- 820.
- 821.
- 822.
- 823.
- 824.
- 825.
- 826.
- 827.
- 828.
- 829.
- 830.
- 831.
- 832.
- 833.
- 834.
- 835.
- 836.
- 837.
- 838.
- 839.
- 840.
- 841.
- 842.
- 843.
- 844.
- 845.
- 846.
- 847.
- 848.
- 849.
- 850.
- 851.
- 852.
- 853.
- 854.
- 855.
- 856.
- 857.
- 858.
- 859.
- 860.
- 861.
- 862.
- 863.
- 864.
- 865.
- 866.
- 867.
- 868.
- 869.
- 870.
- 871.
- 872.
- 873.
- 874.
- 875.
- 876.
- 877.
- 878.
- 879.
- 880.
- 881.
- 882.
- 883.
- 884.
- 885.
- 886.
- 887.
- 888.
- 889.
- 890.
- 891.
- 892.
- 893.
- 894.
- 895.
- 896.
- 897.
- 898.
- 899.
- 900.
- 901.
- 902.
- 903.
- 904.
- 905.
- 906.
- 907.
- 908.
- 909.
- 910.
- 911.
- 912.
- 913.
- 914.
- 915.
- 916.
- 917.
- 918.
- 919.
- 920.
- 921.
- 922.
- 923.
- 924.
- 925.
- 926.
- 927.
- 928.
- 929.
- 930.
- 931.
- 932.
- 933.
- 934.
- 935.
- 936.
- 937.
- 938.
- 939.
- 940.
- 941.
- 942.
- 943.
- 944.
- 945.
- 946.
- 947.
- 948.
- 949.
- 950.
- 951.
- 952.
- 953.
- 954.
- 955.
- 956.
- 957.
- 958.
- 959.
- 960.
- 961.
- 962.
- 963.
- 964.
- 965.
- 966.
- 967.
- 968.
- 969.
- 970.
- 971.
- 972.
- 973.
- 974.
- 975.
- 976.
- 977.
- 978.
- 979.
- 980.
- 981.
- 982.
- 983.
- 984.
- 985.
- 986.
- 987.
- 988.
- 989.
- 990.
- 991.
- 992.
- 993.
- 994.
- 995.
- 996.
- 997.
- 998.
- 999.
- 1000.



Scanned with OKEN Scanner



भारतीय और न्यायिक

५४८

FIFTY
RUPEES

5.
50

ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ

◎

АРГАЧАВ

37. संस्कार की सहायता से गोवे एवं झट्टो के विकास हुए प्रगति , गोवालय नातों/सरठकी सेवारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प सामग्री से आवास बनाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन पापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना ।

38. कृषि उत्तों को बढ़ाव देने के लिए नये-नये वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कराना तथा नये-नये शोधित दौलों को उत्तों तथा उत्तों सम्बन्धित दैनिकियों की जानकारी देने अब तो दूरा तथा मुख्या के लिए आम तौर पर तथा किसानों का विविध जगतकर उन्हें प्रेरित / जागालक एवं प्रशिक्षित करना । साथ ही साथ कृषि उत्पाद का उन्हें उत्तिष्ठ पूर्ण पर दिलाना । तिलहन-दूलहन तथा कृषि वागवाची वर्ड के विभास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग-प्रसार करना तथा खादी कृषि वागवाची द्वारा कृषि कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना ।

39. कृषि क्षेत्रों पर राजा-राजी उल्लोगों को बढ़ाव देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगों लो अवगत कराना ।

40. बंजर एवं ऊसर भूमि पर पारम्परिक उर्जा स्रोत, गतावरणीय संरक्षण, जल एवं पाकृतिक संरक्षण के संरक्षण को विविधत करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लाए करना ।

41. जल, वायु भूमि एवं धनि प्रदूषण की जानकारी/नियन्त्रण / उनसे होने वाली वैभावियों के बारे में युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए रणनीति दिखा में कारप्र कदम उठाना ।

42. प्राकृतिक आपादा जैसे-हैजा, छोड़ा, रुक्मी, बाढ़, आग, मुख्य, दुर्घटन की दृष्टि में प्राप्तित लोगों की सहायता करना तथा प्राप्तित गैर व्यक्तियों एवं प्रदूषकों का समर्कण एवं प्रतिबन्धन करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना संभित है । ऐसी वसा में लोगों को बचाव एवं नामी रपनीति के लिए सहायता / जागरूकता/ प्रशिक्षित करना । इसके लिए लोगों / समाज तथा वास्तविकों आदि से आविक सहयोग भी लिया जा सकता है इसमें शासन एवं प्रामाणीन का लाभवाले ली शामिल है ।

43. लाभान्वित अवसरा प्राप्ति एवं दीवार लानवाले विशेषकर कुत्तों एवं गांगों की देखानाल के साथ सम्बद्ध संरक्षण तथा उनके पालन विशुल्क दर प्रत्यक्षताल की व्यवस्था करना / नी योगीय जीवों की रुक्षा एवं प्राप्ति हेतु प्राप्तयान तथा गोशाला की व्यवस्था करना । प्रतिबन्धित पशुओं को अपेक्षित तथा को लोकना तथा रुक्षों के प्रति धैर जारूर करने के लिए पशु नोडे का अयोजन करना ।

三

三

106

14



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(१)

AP 649467

44. उत्तर प्रदेश सरकार को लकड़ा/ट्रैन/बड़ा/दुर्दाना जैसी वस्त्रियाँ, गर्भवती महिलाओं, बीपार, अलगाप, एवं व्यावसायों के नियमों अथवाल तक से जाने के लिए वैश्वाल इमरजेंसी एन्युलेस/दैक की घोषणा करना।
45. उत्तर प्रदेश सरकार को नियमित करना जो सभी कानून त्रिंग गांव सरकार अथवा नगर सरकार द्वारा अनुदानित होता जिनकी विधान एवं उपरिकृति के नाममात्र से ज्ञात जा रहा है।
46. प्रधानमंत्री द्वारा उपरिकृति के बारे में जानकारी ज्ञात एवं कानूनी जागरूकता के लिए कानूनी विधानों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना साक्ष गठितों तथा समाज के गृहिण एवं विचुक्त लोगों को कानूनी सहायता की जा सके।
47. गृहिण लोगों विशेषज्ञ विद्युतों को कानूनी, सामाजिक, अधिकारीय विकासकीय वृक्षिया अथवा सहायता के लिए उपयोग करना।
48. किसी एन्डरियम द्वारा दिये गये कार्यों को जी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सके।
49. सरकारी अध्या ताराम के किसी भी उद्देश्य के लिए सर्व कार्य, तारा कलेवरण, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी रकम का टिक्का, फारद, फेन, श्रव्य एवं विद्या केस्ट, कर्तुपुतली, सापड़ी, डाकघरोंटी एवं खानपट-गांडक जैसे विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयोग होता है, जिससे ज्ञान के उद्देश्य को पूर्ण होती है।
50. किसी अन्य सरकारी तथा गो सरकारी एवं अध्या एन्डरियम, एलाइक्योन न्यास को अधिक सहायता देना एवं किस-क्षेत्रों में राहगार देना जिनके उद्देश्य इस राहगा के लिए हो।
51. सरकारी तथा गो सरकारी/लोगों/सरकारी/लंगो/कम्बरी/दुकानों से अधिक सहायता लेकर सरकार के उद्देश्य लो पूर्ण होना। इसमें विभिन्न प्रकार के दोनों राष्ट्र, ग्राम, निष्ठ, चल पथ अथवा समिक्षित है।
52. विभिन्न विकास समितियों को अधिकार करना एवं विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जानकारी देना जो आधिक सरकार द्वारा दी जाती है।
53. राज्य उद्देश्य को वित्तीय रूप से वित्त द्वारा जारी करना एवं कार्यों को आवश्यकतानुसार

क्रमांक 10

पंचास रुपये
१९८०-८१ वर्ष का न्यायिक^१
वैल्य, आजमगढ़



Scanned with OKEN Scanner

मार्तीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

₹.50

FIFTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

AP 649488

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (10)

अन्य जिला / प्रदेशों में सम्प्रित करना या फैलाना।

54. चरकारी अर्दसरकारी आवश्यक वे राजकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्य के पृष्ठों के लिए अन्य या सहायता ग्राह करना।

55. न्यास मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्यः—

1. समाज उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं व न्यासों में सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

2. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इनके विभिन्न ईकाइयों को सुधार आवश्यक के लिए अन्य संस्थाओं वी स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों का संगठन करना।

3. न्यास के अधीन संस्थाओं व समितियों को सुधार कर्तव्य से संबोधन के लिए समिति परीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।

4. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्राधिकारों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की आवश्यक हेतु सदस्यता युक्त दान चन्दा उत्पादित करना तथा इनकी प्रभाव इनार्थी गतिः करना।

5. न्यास के अधीन घटनों दाती संस्थाओं को संचालित करने व उनकी आवश्यक के लिए लागतियों से शुल्क भाग करना।

6. न्यास की सम्पत्ति की देखालत करना तथा न्यास के सम्पत्ति के बड़ावा के लिए सारल इयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास के सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना एवं अन्य प्रकार से उत्तमी व्यवस्था ऊर्जा।

7. न्यास के अधीन व्यापित संस्थाओं व गतिः समितियों व अधिनियमता की विधि होने तथा किन्तु अकार्यक व्यवस्थियों व उनके संचालन के बायत गतिः समिति को धन कर उसकी सम्पूर्ण घटवस्था दृष्टि में निहित करना।

8. न्यास के अधीन व्यापित एवं सचिवित संस्थाओं, विभागों, विभाग कंचोंविकासालयों, शोध केन्द्रों, गोशालों व अन्य संस्थान व्यवसियों व लिए अवश्यक चालानों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आवश्यक एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य लाभों को करना।

9. न्यास के उद्देश्यों वी पृष्ठों के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं को द्वित में व्यवसियों

क्रमांक 11

संस्कृत राज्य

न्यासी/प्रबन्ध १०

न्यासी राज्य द्वा०

बैलौं

संस्कृत राज्य

न्यासी/प्रबन्ध १०

न्यासी राज्य द्वा०




Scanned with OKEN Scanner

भारतीय नौर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

TWENTY
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

(13)

27AA 029864

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1. अनुचार उत्तर के इच्छा व्यवस्था के लिए नियमानुसार सहम प्राविकारी के स्वीकृत या अनुचारित कराये गये प्रधासन योजना के अनुसार सम्बन्धित मानविधातय के प्रबन्ध समिति के द्वारा सदरम्य होने लगा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्रदान होगा।
2. व्यास व्यवस्था का कोई भी व्यासी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यादि कोई व्यक्तिगत तेज-टेज तात्परा है तो व्यास या उस व्यवस्था में कोई उत्तरदायित नहीं होगा, वर्तमान सम्बन्धित व्यासी इसलिए लिए गए उत्तरदायी होगा।
- (अ) व्यास अधीकरण द्वारा व्यवस्था की गोपनीयता एवं व्यास का व्यवस्था के लिए एक वार्षिक देवठक में व्यास के अधीन संबंधित गोपी व्यासांगों/समितियों के प्रबन्धन/समियोग व प्राचार्य तथा अन्य प्रदायिकारीयों वै आ जाए। व्यवस्था की दृष्टिना उक्त गोपी व्यासियों को 15 दिन पूर्व दृष्टिना व्यासी द्वारा दी जाएगी और उपरोक्त तरीं व्यासियों का वार्षिक देवठक में उपस्थित दृष्टिना अन्वेषण द्वारा। व्यासिक देवठक के अनुसन्धित एवं देवठक में व्यास तो वाते सदस्यों की व्यवस्था अन्वेषण द्वारा जाएगी। गोपी भी व्यासी दृष्टि व्यासी की पूर्ण अनुमति से ही व्यवस्था देवठक अनुरिक्षित हो सकता है।
2. व्यासिक देवठक व्यास के लिए व्यास के लिया—कलायों पर विचार होगा और आय-आय पर विचार कर व्यास का व्यवस्था का किलता अनियम होगा।
3. व्यास व्यवस्था पर व्यास व्यवस्था के लिया जाएगा। व्यासिक देवठक सहमति से पारित नियम एवं व्यवस्था पर व्यास व्यवस्था का किलता अनियम होगा।
4. व्यास व्यवस्था के लिया व्यासिक देवठक की व्यासिक देवठक की व्यासिक देवठक को प्राप्त करके उत्तरी व्यवस्था देना।
5. व्यास की समस्त अवधारी लेखाना व अन्य अधिकारों को लियार करना/क्रमाना।
6. व्यास की व्यवस्था को अन्वेषित करने तथा उसकी व्यवस्था व्यास व्यवस्था को संदर्भों को देना।
7. व्यास व्यवस्था को सुख्ता करना तथा व्यास के आय-आय का हिसाब-किताब बनाना व्यवस्था व्यवस्था के सभी रूपों में।

क्रमांक 14

स्थानकर्ता राम

व्यासी व्यास

व्यासी व्यास



Scanned with OKEN Scanner

मारतीस गोर न्यायिक

ब्रीस रुपये

RS.20

रु.20

INDIA

INDIAN JUDICIAL

(15)

27AA 029867

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रधानमंत्री द्वारा जीवन्यास की अपील संबन्ध में न्याय की ओर से दरतावेज निरापदित करने के लिए मुख्य न्यायी न्यायी एवं एक अन्य न्यायी जिसे की पुष्ट न्यायी उचित समझे अंतिमिति हो।
यहकि मुख्य न्यायी न्याय के दरक दो रणनीति राखनाहो एवं समितियों को संयोजित करने के लिए भूमि एवं चर्चा का कार्य एवं विकास कर सकेंगे या किसी चल या अपेक्षा सम्भालने की सम्भालने के अधिष्ठात्र के लिए आवश्यक कार्यालयी कर सकें। न्याय मध्यका की सम्भालने के अधिकारी ने किराये पर ऐ संरोगा। या बेंच समझोगा।
यह कि न्याय की सम्भाले को इति पुष्ट न्याय के दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार न्याय मध्यका को द्वारा होगा। न्याय और उसके अधीन सम्भालो एवं समितियों के अधिकारी लंबे क्रमांकरितों के दिलचस्प मुख्य न्यायी द्वारा की गयी कार्यालयी की अपील न्याय मध्यका द्वारा सुनी जायेंगी।
न्याय मध्यका अधिकारी ने सम्भाल विभाग में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्भाल में न्याय मध्यका का नियंत्रण अद्वितीय होगा। परन्तु यदि किसी परिस्थितिवाल घटना नहीं हो रही। तो विभाग को लैखित रहने के द्वारा न्याय मध्यका का प्रबन्धन या उसकी सम्भाल की अवस्था न्याय में निहित रहेगी।
न्याय की आप-ज्ञाय एवं लेखा द्वारा प्रकाशित होने मुख्य न्यायी द्वारा परीक्षा की जा सकती।
न्याय मध्यका न्याय के नेतृत्व नियन्त्री भी विधानिक कार्यालयी का संचालन न्याय के नाम से किया जाएगा, जिसके द्वारा की ओर से मुख्य न्यायी द्वारा अधिकार मुख्य न्यायी के अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकार न्यायी द्वारा की जाएगी।
न्याय के अधिक सम्भाल रखाया एवं नियंत्रित कराया जाना विवरण की न्याय मध्यका द्वारा जीवन्यास की न्याय मध्यका के अधीन होगा। न्याय मध्यका द्वारा जीवन्यास का विवरण की न्याय मध्यका के अधीन होगा। न्याय नियुक्ति या व्यक्तियों को दूसरे बहुमत द्वारा तुम कार्य को करना। अतः न्याय नियुक्ति कराया जाएगा। इसके अंतिमिति न्याय मध्यका अपने सम्भाल के प्रबन्ध एवं अंतिमिति के जारी होने के बारे में जीवन्यास की भी नियुक्ति करेगा।

अम्बर: 16


न्यायी द्वारा
न्यायी द्वारा

न्यायी द्वारा
न्यायी द्वारा

न्यायी द्वारा
न्यायी द्वारा



Scanned with OKEN Scanner



३५८

ੴ ਸਤਿਗੁਰ

Rs.20
TWENTY
RUPEES

INDIAN JUDICIAL

उत्तर ब्राह्मण UTTAR BRAHMIN

27AA 029868

न्यास मङडल, न्यास के लिए वह सभी कार्य जो न्यास के हितों के लिए आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों को पूर्ति में सहायक हो।

"बाबू, दुर्गा राय जनसेवा संस्थान" की तरफ से हम साकेत राय न्यायों के रूप में हम घोषित करते हैं कि उपराज्ञ न्यास पत्र लिखकर पढ़ ये समझकर खुल्ला मन ये चित दे दिए जाएं। किंतु बाहरी दबाव के नाम-समझकर इस न्यास पत्र को निवापन हेतु प्रस्तुत किया है। जिससे की न्यास का निवेदन गठन हो जाके।

सामीग्रण

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

जन्म : अक्टूबर २०१२ वाराणसी साकेत राय
पता : ३७० नं. बड़ी बाजार, वाराणसी संस्थापक / अध्यक्ष
नाम : सर्वे, एवं उनके घर, वाराणसी
पता : डिस्ट्रिक्ट अधिकारी, वाराणसी, "बाबू इयं राय जनसेवा संस्थान",
पाल द पोर्ट-बेलख, तहसील-लालगढ़ जिला-आगरा

1931-32 - 1936-37 - 1940-41

६ दिनांक -०७.११.२०१८

मसाविदाकर्ता-
प्रोफेसर डॉ अमित
भट्ट

मानकरी राय
संस्कृत विद्या
विद्यालय

MATERIALS

0

Scanned with OKEN Scanner

8/25/2020

२५. १४/१३-०. २०२०
वार्षिक वित्तीय संग्रह समिति प्रस्तुत
संस्कृत विद्या का गुरु प्रशिक्षण एवं विज्ञान
कालगंगा, असम
प्रभास शर्मा जिती..... ३०-००
निमित्त शास्त्रज्ञ ३०-००-२४
लालगंगा, असम

आवेदन सं.: 202000969003878

बही संख्या । जिल्द संख्या 4262 के पृष्ठ 265 से 284 तक क्रमांक 2437 पर दिनांक 25/08/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार
उप निबंधक : लालगंज
आजमगढ़
25/08/2020

1987-12-20 15:00 801373

1931

3114-04-11-~~PW~~

१५४

